

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
!! आदेश !!

क्रमांक सी/1963/से0पु0वे0नि0
चार-12-23/2008

जबलपुर, दिनांक 16/04/2018

श्री विपिन चंद्र गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/1167 दिनांक 06.03.2018 द्वारा द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल, के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 25.05.2009 के बिन्दु क्रमांक 5 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत, विकल्प के अनुसार वेतन का निर्धारण निम्न तालिका के कॉलम 3 में दर्शित दिनांक से कॉलम 4 में दर्शाये अनुसार किया जाता है। जिसका वास्तविक भुगतान तालिका के कॉलम 5 में दर्शित दिनांक से किया जावेगा।

वेतन निर्धारण तालिका

शासकीय सेवक का नाम, पद एवं यूनिक कोड नम्बर	पुनरीक्षित वेतन बैंड चूटण.2 रू0 9300-34800 + ग्रेड पे रू0 4200/- में प्राप्त वेतन एवं दिनांक			समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक	पुनरीक्षित वेतन बैंड चूटण.3 रू0 15600-39100 + ग्रेड पे रू0 5400/- में वेतन का निर्धारण			वास्तविक देय दिनांक
	PAY	G.P.	TOTAL		PAY	G.P.	TOTAL	
1	2			3	4			5
श्री विपिन चंद्र गुप्ता अनुभाग अधिकारी 171010031	16990	4200	21190	23/01/2018	16990	5400	22390	23/01/18
	01/07/2017			टीप:- विकल्प "क" के अनुसार समयमान वेतनमान की वेतनवृद्धि आगामी नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि के बाद देय होगी।				

रजिस्ट्रार जनरल महोदय के आदेशानुसार

सही/-

(ए0के0 महोबिया)
ओ0एस0डी0 (लेखा)


पृष्ठांकन क्रमांक सी/1964/से0पु0वे0नि0
चार-12-23/2008

जबलपुर, दिनांक 16/04/2018

प्रतिलिपि:-

- 1 रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- 2 ओ.एस.डी. (लेखा)/लेखा अधिकारी/असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 3 अनुभाग अधिकारी, स्थापना/पेंशन एवं वेतन निर्धारण/बजट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- 4 अनुभाग अधिकारी लेखा एवं सहायक वेतन पत्रक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप श्री विपिन चंद्र गुप्ता, को पूर्व में भुगतान किये गये वेतन को समायोजित करते हुए अवशेष राशि का भुगतान उनकी सेवा-पुस्तिका में वेतन निर्धारण की जाँच एवं अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर, से होने के पश्चात् किये जाने की कार्यवाही करें,
- 5 सहायक सेवा-पुस्तिका/स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 6 आफिस टाईपिस्ट, स्थापना शाखा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- 7 श्री विपिन चंद्र गुप्ता, अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(व्ही0एन0 बाजपेयी)
लेखा अधिकारी